भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2065**

दिनांक 28 जुलाई, 2014 को उत्‍तरार्थ

ग्राम सभा और जिला आयोजना समिति

2065 श्री सी.पी. नारायाणन : क्‍यापंचायती राज मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के अनुसार गठित ग्राम सभाएं और जिला आयोजना समितियां सभी राज्‍यों में अस्‍तित्‍व में आ गई हैं ;
2. इन संस्‍थाओं का पिछला निष्‍पादन रिकार्ड क्‍या है;
3. क्‍या सरकार उनके अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करने का विचार रखती है क्‍योंकि 73वें और 74वें संशोधनों के अधिनियमन के दो दशक बीत गए हैं ; और
4. क्‍या सरकार के पास इन जमीनी स्‍तर की लोकतांत्रिक संस्‍थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई योजना है ?

**उत्‍तर**

पंचायती राज, ग्रामीण विकास तथा पेय जल एवं स्‍वच्‍छता राज्‍य मंत्री

(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा )

(क) पंचायती राज प्रणाली संविधान के अनुच्‍छेद 243ड में उल्‍लिखित क्षेत्रों को छोड़कर संविधान के भाग-IX में शामिल राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में प्रचालित है। ग्राम सभा, ग्राम स्‍तर पर पंचायत क्षेत्र के अंदर शामिल एक गांव से जुड़े निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्‍यक्‍तियों का निकाय है, और इस प्रकार स्‍वभाविक रूप से विधि अनुसार अस्‍तित्‍व में हैं। इस मंत्रालय में अबतक उपलब्‍ध सूचना के अनुसार, 29 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में जिला योजना समितियां अस्‍तित्‍व में आ गयी हैं।

(ख) इन निकायों की उपस्‍थिति से राज्‍यों में ग्रामीण विकास के लिए विकेंद्रीकृत सहभागी नियोजन की प्रक्रिया को विभिन्‍न मात्राओं में समर्थन मिला है ।

(ग) एवं (घ) इन आधारभूत स्‍तर की संस्‍थाओं के कार्यकरण, आधारभूत स्‍तर पर सुशासन सुनिश्‍चित करने एवं ग्रामीण इलाकों में लोगों को सेवाएं सुपुर्दगी संभव करने के मामले में इनके द्वारा प्राप्‍त उपलब्‍धियां इष्‍टतम बनाने के लिए सभी संभव उपाय उनके कार्यकरण की समीक्षा व अधिक प्रभावी उपचारी कदम उठाना एक सतत चलायमान प्रक्रिया है। जब कभी आवश्‍यक हो ऐसी प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित कदम समय-समय पर उठाए जाते हैं ।

\*\*\*\*\*\*